न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, संख्या–04, हरदोई।

दाण्डिक परिवाद संख्या–03/2016

श्रीमती वासुकी देवी बनाम रीतेश गुप्ता

दिनांक 23–09–2017

पुकार कराई गई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने परिवाद–पत्र में कथन किया है कि– 'विपक्षी, परिवादी के पति की नामौजूदगी में घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने लगता है, जिसकी शिकायत परिवादी ने अपने पति व विपक्षी की पत्नी से किया तो विपक्षी रन्जिश मानने लगा। विपक्षी, परिवादी के मोबाईल पर गन्दी–गन्दी बातें और जाति सूचक गालियां चमरिया की औलाद व रण्डी कहता है, जिसकी रिकार्डिंग परिवादी के मोबाईल पर है। दिनांक 01–02–2016 को शाम 07.00 बजे विपक्षी, परिवादी को जाति सूचक गालियां दिया तथा परिवादी की पुत्री को उठवाकर वैश्यावृत्ति कराने की धमकी दिया'।

परिवादी श्रीमती वासुकी देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पी०डब्लू०–01 जोगेन्द्र कुमार व पी०डब्लू०–02 मनोज कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद–पत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से विपक्षी रीतेश गुप्ता के विरूद्ध धारा–294, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–3 (I)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है।

आदेश

विपक्षी **रीतेश गुप्ता** को धारा–294, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–3 (I)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समन किया जाता है। परिवादी सूची गवाहान दाखिल कर आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 24–10–2017 को पेश हो।

(दिग्विजय नाथ)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम,

दिनांक 23–09–2017 न्यायालय संख्या–04, हरदोई।